प्रस्तावना

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

गठन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों में से एक है। इसके कार्य की देखरेख लोक सभा सचिवालय द्वारा की जाती है। समिति में 31 सदस्य होते हैं, अर्थात् लोक सभा के 21 सदस्य जिनका लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से मनोनयन किया जाता है और राज्य सभा से 10 सदस्य, जिनका राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से मनोनयन किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा समिति के सभापति को समिति के लोक सभा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। कोई भी मंत्री किसी भी डीआरएससी के सदस्य के रूप में नामित होने का पात्र नहीं होता है और यदि समिति में अपने नामांकन के बाद किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्ति की तारीख से समिति की उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से एक वर्ष होता है।

क्षेत्राधिकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के निम्न तीन विभाग रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

क) उर्वरक विभाग
ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
ग) औषध विभाग

कार्य

इस समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इनसे संबंधित प्रतिवेदनों को तैयार कर सभाओं में प्रस्तुत करना;
(ख) उपर्युक्त मंत्रालय के संबंध में राज्य सभा के सभापति अथवा माननीय लोक सभा अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा संदर्भित विधेयकों की जांच करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना;
(ग) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और इन पर प्रतिवेदन तैयार करना; और
(घ) सभाओं में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय मूल दीर्घावधि नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना यदि इन्हें राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा अध्यक्ष जैसा भी मामला हो, द्वारा भेजा गया हो ।

कार्यकरण

अनुदानों की मांगों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया

हर वर्ष सभा में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात सभाओं को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। समिति उक्त अवधि के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करती हैं और निर्धारित समय-सीमा में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सभा अनुदानों की मांगों पर विचार करती है।

विधेयकों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ दोनों सभाओं में पेश किए गए केवल ऐसे विधेयकों पर ही विचार करती हैं, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति, जैसा भी मामला हो, द्वारा उनके पास भेजा जाता है। समितियां उन्हें भेजे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और दी गई समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन तैयार करती है।

वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच

अनुदानों की मांगों और उनके पास भेजे गए विधेयकों पर विचार करने के अलावा, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर जांच हेतु अन्य विषयों का चयन कर सकती हैं।

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

जांच किए गए विषयों पर समिति की टिप्पणियां/ सिफारिशें उसके प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट होती हैं, जिन्हें समिति द्वारा स्वीकार करने और संबंधित मंत्रालय द्वारा (विवरण के) तथ्यात्मक सत्यापन के पश्चात अध्यक्ष और अधिकृत सदस्यों द्वारा संबंधित सभाओं में प्रस्तुत किया जाता है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश को भी प्रतिवेदन के साथ सभाओं में प्रस्तुत किया जाता है।

की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

अनुदानों की मांगों और अन्य विषयों पर प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित मंत्रालय को प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है और प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख से तीन महीने के भीतर की-गई-कार्रवाई उत्तर देने होते हैं। मंत्रालय से प्राप्त की-गई-कार्रवाई टिप्पणों की समिति द्वारा जांच की जाती है और उसके बाद की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को सभाओं में प्रस्तुत किया जाता है।

की-गई-कार्रवाई विवरण रखना

की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त उत्तर तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर विवरण के रूप में दोनों सभाओं के सभापटल पर भी रखे जाते हैं।

निदेश 73क के तहत मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य

लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के संदर्भ में मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सदन में छह महीने में एक बार वक्तव्य देंगे। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुवर्ती कार्रवाई हेतु स्थायी समितियों की सिफारिशों को सरकार द्वारा शीर्षतम स्तर पर नोट किया जाए ।